



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162450

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2825 वर्ष 2026

एक्स किशोर

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता	:	भास्कर भद्र, राजवीर चौरसिया
विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा

विपक्षी पक्षकार को नोटिस पहले ही तामील कराया जा चुका है, किंतु उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने तथा विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जालौन, उरई द्वारा आपराधिक अपील संख्या 04/ 2026 में पारित दिनांक 04.02.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, जालौन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा पारित दिनांक 14.10.2025 के आदेश को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। आगे उक्त आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने तथा पुनरीक्षणवादी को मुकदमा अपराध संख्या 81/2025, अन्तर्गत धारा 87, 137(2), 64(1) बी.एन.एस. एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, थाना नदीगाँव, जनपद जालौन के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय अपचारी की आयु लगभग 14 वर्ष थी। पीड़िता की आयु भी लगभग 16 वर्ष थी और कथित घटना से पूर्व एक वर्ष की अवधि से पीड़िता का अपचारी के साथ प्रेम संबंध था तथा दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी। दोनों उरई गए और फिर वापस आ गए। पुनरीक्षणवादी द्वारा पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किसी प्रकार का बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक अथवा बाह्य चोट नहीं पाई गई। पीड़िता का बयान विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि पुनरीक्षणवादी के साथ उसका संबंध था और कथित घटना से पूर्व एक वर्ष से इंस्टाग्राम पर उनकी मित्रता चल रही थी। वह पुनरीक्षणवादी के साथ उरई गई, जहाँ दोनों ने एक मंदिर में विवाह किया, तत्पश्चात् ग्वालियर गए और वहाँ उनके बीच संबंध भी स्थापित हुए तथा उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसने अपनी इच्छा से एक मंदिर में पुनरीक्षणवादी के साथ विवाह किया था और यह भी कहा कि वह पुनरीक्षणवादी के साथ रहने के लिए इच्छुक थी, इससे यह प्रदर्शित होता है कि पुनरीक्षणवादी द्वारा किसी प्रकार का बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी दिनांक 11.07.2025 से किशोर देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता एवं अपचारी की आयु, पीड़िता के बयान तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 14.10.2025 तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणवादी (अपचारी के विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिया जाएगा और आगे पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।

(ii) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का एक और वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिक आधार पर तर्क प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

4 अगस्त, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”